

सहकारता के क्षेत्र में वशिव की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना

प्रलिमिस के लिये:

सहकारी क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा, प्राथमिक कृषि उपकरण समितियाँ (PACS), कृषि अवसंरचना कोष (AIF), न्यूनतम समरथन मूलय (MSP), भारतीय खाद्य निगम, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS)

मेन्स के लिये:

कृषि क्षेत्र में विकास के लिये सरकारी योजनाएँ, खाद्य सुरक्षा

स्ट्रोत: पी.आई.बी.

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सहकारता मंत्रालय ने [सहकारता](#) के क्षेत्र में वशिव की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना पर प्रकाश डाला।

- इस पहल का उद्देश्य देश में खाद्यान्न भंडारण क्षमता में निरितर कमी का समाधान करना है।

सहकारता के क्षेत्र में अन्न भंडारण योजना क्या है?

- व्यापक बुनियादी ढाँचे का नियमान:**
 - इस परियोजना में [प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ](#) (Primary Agricultural Cooperative Societies- PACS) के स्तर पर वभिन्न कृषि सिंबंधी बुनियादी ढाँचे की स्थापना करना है, जिसमें गोदाम, कस्टम हायरगि सेंटर, प्रसंस्करण इकाइयाँ, उचित मूलय की टुकानें आदि शामिल हैं।
 - यह भारत सरकार की मौजूदा वभिन्न योजनाओं के एकीकरण, जिसके अंतर्गत [कृषि अवसंरचना कोष](#) (Agriculture Infrastructure Fund- AIF), कृषि विपणन अवसंरचना योजना (Agricultural Marketing Infrastructure Scheme- AMI), [पर उप मशिन](#) (Sub Mission on Agricultural Mechanization- SMAM), प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना (Pradhan Mantri Formalization of Micro Food Processing Enterprises Scheme- PMFME), [प्रधानमंत्री कसिन संपदा योजना](#) (Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana- PMKSY) और [एकीकृत बागवानी विकास मशिन](#) (Mission for Integrated Development of Horticulture- MIDH) जैसी योजनाएँ शामिल हैं, के व्यापक विकास के लिये एक रणनीतिक दृष्टिकोण है।
- कार्यान्वयन साझेदार और प्रगति:**
 - राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (National Cooperative Development Corporation- NCDC) [राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक](#) (National Bank for Agriculture and Rural Development- NABARD), भारतीय खाद्य निगम (Food Corporation of India- FCI) आदि के सहयोग से वभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में प्रयोगकी परियोजनाओं को लागू किया जा रहा है।
 - 13 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 13 PACS में नियमान कार्य शुरू हो गया है, प्रयोगकी परियोजनाओं में शामिल करने के लिये 1,711 PACS की पहचान की गई है।
- कार्यान्वयन के नियमिति:**
 - सहकारता मंत्रालय ने एक अंतर-मंत्रालयीय समिति (Inter-Ministerial Committee- IMC) का गठन किया है, जिसके पास योजनाओं के एकीकरण के लिये दशा-नियन्त्रित जारी करने तथा कार्यप्रणाली को अंगीकृत करने का अधिकार है।
 - इसके अंतरिक्त संबद्ध मंत्रालयों एवं वभिन्नों के सदस्यों के साथ एक [राष्ट्रीय सतरीय समनवय समिति](#) (National Level Coordination Committee- NLCC) को इस योजना के कार्यान्वयन और प्रगति की नियन्त्रणी का कार्यभार सौंपा गया है।
 - इसके अलावा प्रभावी समनवय तथा कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिये राज्य और ज़िला सतर पर्साज्य एवं ज़िला सहकारी विकास समितियाँ (State and District Cooperative Development Committees- SCDC and DCDC) का गठन किया गया है।

■ कसिनों पर प्रभाव:

- गोदामों की स्थापना का कार्य PACS द्वारा किया जाएगा, जिससे फसल की उपज का भंडारण करने तथा बाद के फसल चक्रों के लिये लघुकालकि वित्तीय तक पहुँच की कसिनों की कृषमता वाकिसति होगी।
 - कसिनों के लिये सही समय पर उपज के विक्रय अथवा पूरी फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर PACS को बेचने का विकल्प उपलब्ध हो सकेगा, जिससे तात्कालिक बक्री को नविंत्रित किया जा सकेगा।
 - PACS स्तर पर विकेंद्रीकृत भंडारण कृषमता की सहायता से फसल कटाई के बाद के नुकसान को कम करने में मदद मिलती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि किसिन अपनी उपज की गुणवत्ता के साथ अपनी अधिकतम आय प्राप्त कर सकते हैं।
 - खरीद केंद्रों और उचित मूल्य की दुकानों (FPS) के रूप में कार्य करने वाले **PACS खाद्यानन की परिवहन लागत में बचत करने में योगदान देते हैं।**
- यह योजना स्थानीय **पंचायत** या ग्राम स्तर पर विभिन्न कृषि आदानों और सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करती है, जिससे दूर स्थिति खरीद केंद्रों पर नियंत्रित कम हो जाती है।
- कसिनों को आय के अतारिक्त स्तरों का पता लगाने के लिये पारंपरिक कृषि गतिविधियों से परे अपने व्यवसायों में विधिता लाने हेतु सशक्त बनाया गया है।
- यह योजना भंडारण कृषमता को बढ़ाकर और बर्बादी को कम करके अधिक सुदृढ़ एवं वशिवसनीय **खाद्य आपूरता शुल्क** सुनिश्चित कर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में योगदान देती है।

प्राथमिक कृषि सहकारी समतियाँ (PACS):

- PACS राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंकों (SCB) की अध्यक्षता में अल्पकालकि सहकारी ऋण अवसंरचना की जमीनी स्तर की शाखाएँ हैं।
- PACS सीधे ग्रामीण (कृषि) उदारकर्ताओं की समस्याओं का समाधान करते हैं, उन्हें ऋण देते हैं, दिये गए ऋणों का पुनर्भुगतान एकत्र करते हैं और वितरण एवं विधिता कार्य भी करते हैं।

खाद्यानन की कमी को दूर करने के लिये कृषि भिन्नरालय द्वारा क्या पहले की गई हैं?

■ कृषि अवसंरचना कोष (AIF):

- AIF प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता के माध्यम से फसल कटाई के बाद प्रबंधन बुनियादी ढाँचे एवं सामुदायिक कृषि परसिंपत्तियों के नियमानुसार की प्रक्रिया प्रोत्साहन करता है।
- इसमें 7 वर्षों के लिये प्रतीक्षित स्थान पर 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 3% की ब्याज छूट और यदि प्रतीक्षित स्थान में **सुकृष्ण एवं लघु उदयमों के लिये क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE)** योजना के तहत क्रेडिट गारंटी कवर है, तो क्रेडिट गारंटी शुल्क की प्रतिपूर्ति शामिल है।

■ प्रधानमंत्री अनन्ददाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA):

- **PM-AASHA/पीएम-आशा** का लक्ष्य अधिसूचित तालिहन, दालों और कोपरा (बारहमासी फसल) की उपज के लिये कसिनों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) प्रदान करना है।
- इसमें मूल्य समर्थन योजना (PSS), मूल्य कमी भुगतान योजना (PDPS) और नजीबी खरीद तथा स्टॉकसिट योजना (PPSS) शामिल हैं।

• मूल्य समर्थन योजना (PSS):

- इसे संबंधित राज्य सरकार के अनुरोध पर लागू किया गया।
 - दालों, तालिहनों और कोपरा की खरीद को मंडी कर से छूट दी गई है।
 - जब कीमतें MSP से नीचे गिर जाती हैं तो केंद्रीय नोडल एजेंसियों MSP पर पूर्व-पंजीकृत कसिनों से सीधे खरीद करती हैं।

• मूल्य कमी भुगतान योजना (PDPS):

- इसमें MSP और बक्री/मॉडल मूल्य के बीच अंतर का सीधा भुगतान शामिल है।
- अधिसूचित बाजार यारडों में पूर्व-पंजीकृत कसिन जो उचित औसत गुणवत्ता (FAQ) मानकों को पूरा करते हुए तालिहन बेचते हैं, उन्हें पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया का लाभ मिलता है।

• नजीबी खरीद और स्टॉकसिट योजना (PPSS):

- राज्यों के पास तालिहन खरीद के लिये PPSS लागू करने का विकल्प है।
- चयनित ज़िलों या APMC में पूर्व-पंजीकृत कसिनों से प्रायोगिक आधार पर खरीद की जाती है।

■ बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS):

- **MIS** में उन कृषितथा बागवानी वस्तुओं की खरीद शामिल है जो जल्दी खराब हो जाती है एवं जनिके लिये MSP की घोषणा नहीं की जाती है, ताकि इन वस्तुओं के उत्पादकों को अधिशेष/अधिक फसल की स्थितिमें बहुत कम मूल्य पर आकस्मकि बक्री करने से बचाया जा सके, जब कीमतें आरथक स्तर/उत्पादन लागत से नीचे गिर जाती हैं।

■ भारतीय बीज सहकारी समतिलिमिटेड (BBSSL):

- **बहु-राज्य सहकारी समतिलिमिटेड, 2002** के तहत BBSSL को एक ही बरांड नाम के तहत उन्नत बीजों की खेती, उत्पादन तथा वितरण के लिये एक व्यापक (अम्बरेला) संगठन के रूप में स्थापित किया गया है।
- यह समतिकसिनों के लिये उन्नत बीजों की उपलब्धता बढ़ाकर फसलों की उत्पादकता बढ़ाएगी, इससे कसिनों की आय बढ़ेगी।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, विधि वर्ष के प्रश्न

[?/?/?/?/?/?/?]:

प्रश्न. नमिनलखिति कथनों पर विचार कीजिये: (2020)

1. कृषकघेतर को अल्पकालिक ऋण प्रदान करने के संदर्भ में ज़िला केंद्रीय सहकारी बैंक (DCCBs) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की तुलना में अधिक ऋण प्रदान करते हैं।
2. DCCB का एक सबसे प्रमुख कार्य प्राथमिक कृषि साख समितियों को निधि उपलब्ध कराना है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (A) केवल 1
- (B) केवल 2
- (C) 1 और 2 दोनों
- (D) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (B)

प्रश्न. भारत में 'शहरी सहकारी बैंकों' के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों पर विचार कीजिये: (2021)

1. उनका प्रयोगक्षण और वनियमन राज्य सरकारों द्वारा स्थापित स्थानीय बोर्डों द्वारा किया जाता है।
2. वे इकवटी शेयर और वरीयता शेयर जारी कर सकते हैं।
3. उन्हें 1966 में एक संशोधन के माध्यम से बैंकिंग वनियमन अधनियम, 1949 के दायरे में लाया गया था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

[?/?/?/?/?]:

प्रश्न. "गाँवों में सहकारी समतिको छोड़कर ऋण संगठन का कोई भी ढाँचा उपयुक्त नहीं होगा।" - अख्लि भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण। भारत में कृषिवित्ति की पृष्ठभूमि में इस कथन पर चर्चा कीजिये। कृषिवित्ति प्रदान करने वाली वित्तीय संस्थाओं को कनि बाधाओं और कसौटियों का सामना करना पड़ता है? ग्रामीण सेवारथियों तक बेहतर पहुँच और सेवा के लिये प्रौद्योगिकी का कसि प्रकार उपयोग किया जा सकता है?" (2014)